समक्ष माननीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक– R. 726–III/14 सन् – 2014

सरदार ठाकुर सिंह तनय श्री अमरीश सिंह
निवासी बस स्टैण्ड, छतरपुर (म.प्र.) ....आवेदक

बनाम

1. सुरेश कुमार रिछारिया तनय श्री बाबूलाल रिछारिया
निवासी गौरगांय तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)

2. शासन म.प्र. ....अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश दिनांक 12.02.2014 जो कि श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील छतरपुर द्वारा प्रकरण क्र. 01/अ–12/2012–13 सुरेश कुमार रिछारिया बनाम शासन म.प्र. में पारित किया गया।

महोदय,

आवेदक सादर निम्नानुसार निवेदन करता है :–

1. यह कि आवेदक छतरपुर का निवासी है एवं होटल व्यवसायी है कृषि भूमि खसरा नं. 566 एवं 567 आपस में लगे हुये है खसरा नं. 566 आवेदक के साथ साथ रामस्वरूप शर्मा, रघुवीर सिंह एवं श्रीमती सुमन तिवारी के नाम पर शामलाती दर्ज है। खसरा नं. 566 की पूर्वी सीमा पर रामस्वरूप शर्मा का मकान बना है एवं खसरा नं. 567 की पश्चिमी सीमा पर शासकीय सोसायटी भवन बना है। खसरा नं. 566 पर अनावेदक क्र. 1 एवं उसके पिता बाबूलाल रिछारिया द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था जिस पर अपने हिस्से की भूमि पर स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री भी पारित हुई थी।

2. यह कि अनावेदक क्र. 1 ने खसरा नं. 567 का सीमांकन एस.एल.आर. महोदय से कराये जाने हेतु आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया था जिस पर एस.एल.आर. महोदय छतरपुर द्वारा सीमांकन की कार्यवाही प्रारंभ की गई थी एवं दिनांक 27.04.2013 को एस.एल.आर. महोदय द्वारा सीमांकन भी किया गया था परन्तु आवेदक को सीमांकन के पूर्व कोई सूचना नहीं दी गई जबकि आवेदक सरहदी भूमि स्वामी था एवं गोपनीयता के साथ किये गये सीमांकन की जानकारी आवेदक को प्राप्त होने पर आवेदक ने श्रीमान् तहसीलदार महोदय छतरपुर के समक्ष दिनांक 01.06.2013 को इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की थी कि एस.एल.आर. द्वारा किया गया सीमांकन अवैध है जो कि आवेदक की उपस्थिति में ना होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है अतः एस.एल.आर. द्वारा प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन निरस्त किया जावे एवं

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक –निग.-726-तीन/2014

जिला-छतरपुर

सरदार ठाकुर सिंह विरूद्ध सुरेश कुमार व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। 3. यह निगरानी तहसीलदार छतरपुर, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 01/अ-12/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 12-02-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये (आर.के. जैन) 28/01/19 सदस्य	